तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
25/9/24	राजस्व आवेदन संख्या 07 / 2019 अनवान पुणेशा बनाम मीटाराम वगैरह 06/12/24	
06/12/24		

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 04 स्व. पीराराम के वंशज एवं विधिक वारिश है, जिनकी संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा पूनियों की बस्ती, आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1182/1096 रकबा 50.07 बीघा, खसरा नम्बर 1237/1156 रकबा 05.00 बीघा एवं खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.09 बीघा की प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त कब्जा-काश्त की आई हुई है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1182/1096 एवं 1237/1156 की भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के नाम सही हिस्से अंकित कर दिये गये, परन्तु खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.09 बीघा किस्म गै.मु. ढाणी की भूमि भी पैतृक एवं सहदायिकी की होने से प्रार्थीगण का 1/[illegible] खातेदारी का होने के बावजूद नाम अंकित [illegible] वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रार्थीगण का 1/2 [illegible] सा खातेदारी अधि[illegible] बनता है। वर्तमान में मौके पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हिस्से पर कब्जे-काश्त में बेदखल करने पर आमादा है तथा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.20 10:05:52 IST
Reason: SelfAttested

हुकम कार्यवाही मय इनीशियल्स जजा

तारीखहुकम

परिवर्तन करने पर उतारू है। मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है। मौके विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उसके कब्जो काश्त से बेदखल करने में कामयाब होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि मौजा पूनियों की बस्ती, आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.09 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण उनक पूर्व पुरूष पीराराम के चारों लड़के वक्त सेटलमेन्ट से अलग होकर निवास करते आ रहे है तथा अप्रार्थीगण अपनी अलग ढाणी बनाकर निवासी कर रहे है। सेटलमेन्ट के समय सह खातेदारी के खेतों को वर्ष 2004 में ही पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया था, परन्तु खसरा नम्बर 1095 की भूमि वक्त सेटलमेन्ट से विप्राथीगण के पूर्वज हेमाराम के नाम की होने से उनके अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। खसरा नम्बर 1095 में प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज फरमावें।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज एवं प्रार्थना– पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 04 स्व. पीराराम के वंशज एवं विधिक वारिश है, जिनकी संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी [illegible] भूमि मौजा [illegible] बस्ती, आदर्श चवा तहसील बाड़मेर [illegible] 1096 रकबा 50.07 बीघा, खसरा नम्बर 123[illegible] रकबा 05.00 बीघा में आई हुई है। जो वक्त सेटलमेन्ट से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज हुई है केवल खसरा नम्बर 1095 की भूमि ही विप्रार्थीगण के पूर्वज हेमाराम के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीगणों द्वारा खातेदारें घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किये गये है जिसका निर्णय बाद मेरट पर किया जा सकेगा

तथ्य [illegible]

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.20 10:05:52 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। लिहाजा प्रकरण के निर्णय तक उभय पक्षों अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक उभयपक्ष के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि वो मौजा पूनियों की बस्ती पटवार हल्का आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.09 बीघा भूमि में मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.20 10:05:52 IST
Reason: SelfAttested